रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 14 OCT 1972 GOVT. OF INDIA

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 6, 1972/आश्विन 14, 1894

No. 255] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 1972/ASVINA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, theh 6th October 1972

G.S.R. 429(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 26/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, the Central Government hereby exempts steel ingots of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Item No. 26 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified and subject to the

conditions laid down in the corresponding entries in columns (3) and (4) respectively of the said Table.

TABLE

S. No.	Description	Duty	Conditions
1	2	3	4
1.	Steel ingots manufactured with the aid of electric furnace.	Nil	If manufactured from any of the following materials or a combination thereof, namely:— (i) old iron or steel melting scrap; or (ii) fresh unused steel melting scrap on which the appropriate amount of duty of excise, if any leviable, has been paid.
	Stell ingots manufactured with the aid of electric furnace.	Rs. 57-50 per tonne of iron in any crude form, falling under Item No. 25 of the said First Schedule, used in the manufacture of steel ingots.	If manufactured from iron in any crude form falling under item No. 25 of the said First Schedule and on which the appropriate amount of duty of exise, if any, has been paid, in combination with either or both of the following materials, namely:— (i) old iron or steel melting scrap; (ii) fresh unused steel melting scrap on which the apporpriate amount of duty of excise, if any leviable, has been paid.

[No. 207/72.]

S. K. GHOSHAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1972

सा० का० नि० 429 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 26/69—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 को अतिष्टित करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 के अतर्गत आने वाले वर्णन की इस्पात सिल्लियों को उन पर उद्-ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से जो उक्त सारणी के क्रमशः स्तम्भ (3) और (4) में तत्स्थानी

प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो और अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए एतद्द्वारा छूट देती है ।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क	शर्तें
1	2	3	4
1.	विद्युत भट्टी की सहायता से विनिर्मित इस्पात सिल्लियां	शून्य	यदि निम्नलिखित पदार्थों में से किसी या उनके संयोजन से विनिर्मित हो, अर्थात् :— (i) पुराना लोहा या इस्पात गलन रद्दी ; या (ii) नई अप्रयुक्त इस्पात गलन रद्दी जिस पर, उत्पाद शुल्क की समुचित राशि, यदि कोई हो, संदत्त कर दी गई हो ।
2.	विद्युत भट्टी की सहायता से विनिर्मित इस्पात सिल्लियां ।	लोहे के किसी कच्चे रूप का, जो उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत आता हो, जो इस्पात सिल्लियों के विनिर्माण में प्रयुक्त होता हो, प्रति-टन 57—50 रु०	यदि निम्नलिखित पदार्थों, अर्थात्:—(i) पुराना लोहा या इस्पात गलन रद्दी; (ii) नई अप्रयुक्त इस्पात गलन रद्दी जिस पर, उत्पाद शुल्क की समुचित राशि, यदि कोई हो, संदत्त कर दी गई हो, में से किसी एक या दोनों के संयोजन से उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 25

1	2	3	4
			के अन्तर्गत आने वाले लोहे को किसी कच्चे रूप में विनिर्मित किया गया हो और जिस पर उत्पाद शुल्क की समुचित राशि, यदि कोई हो, संदत्त कर दी गई हो ।

[सं० 207/72]

एस० के० घोषाल, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972